संख्या-3 / 2017 / 175 / 74-2-2017-22(ब) / 2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 19 जनवरी, 2017

विषय: अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय की योजना-02 मजदूरी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-563 / सेरी0 / लेखा / आयो0बजट / पुनर्विनि0 / 2016-17 दिनांक 09 दिसम्बर 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय की योजना-02 मजदूरी मद में रू0 10.00 लाख (रूपया दस लाख मात्र) की धनराशि रेशम निदेशालय में आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पुनर्विनियोग किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों / प्राविधानों के अधीन किया जाएगा एवं व्यय निर्धारित मानक मद में किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार शासन / सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

3- उक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के विभागीय अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय की 03-मंहगाई भत्ता में सम्भावित बचतों से किया जायेगा तथा उसी अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक -2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय की योजना-02 मजदूरी मद के नामे डाला जाएगा। पुनर्विनियोग का विवरण निर्धारित प्रारूप-बी0एम0-09 (भाग-1) पर संलग्न है।

संलग्नक::यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/2017/175(1)/74-2-2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बी0एम0-09 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 (बी0एम0-09 की तीन प्रतियां सहित)।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 (बी0एम0-09 की तीन प्रतियां सहित)।
(6) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।